रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33002/99 REGD. No. D. L.-33002/99

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
सत्यमेव जयते
Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-02112021-230877
SG-DL-E-02112021-230877

असाधारण
EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 319]	दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 1, 2021/कार्तिक 10, 1943	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 236
No. 319]	DELHI, MONDAY, NOVEMBER 1, 2021/KARTIKA 10, 1943	[N. C. T. D. No. 236

भाग IV
PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

पर्यावरण, वन और वन्यजीव विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 29 अक्तूबर, 2021

फा. सं. 41/सीडब्ल्यूएलडब्ल्यू /डब्ल्यूएल/जैव विविधता परिषद का संविधान/2020/6576-99.—जैव विविधता अधिनियम, 2002 (2003 का केंद्रीय अधिनियम 18) की धारा 22 की उप धारा (2) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण (एनबीए) ने धारा 22(2) बीडीए, 2002 के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली जैव विविधता परिषद (डीबीसी) के कार्यालय ज्ञापन संख्या एनबीए/9/60/2005-एसबीबी/यूटी-डी दिनांक 31.12.2019 के निहित शक्तियों और कार्यों को प्रत्यायोजित किया है। उक्त कार्यालय ज्ञापन के अनुपालन में, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार इसके लिए दिल्ली जैव विविधता परिषद का गठन करती है:-

क) जैविक विविधता अधिनियम, 2002 की धारा 7 के अन्तर्गत निर्दिष्ट वाणिज्यिक उपयोग के लिए जैविक संसाधनों तक पहुंच को विनियमित करना।

ख) जैव विविधता प्रबंधन समितियों (बीएमसी) और लोगों की जैव विविधता रजिस्टर के गठन और कामकाज का पर्यवेक्षण करना।

संयोजन

1. प्रो. सी.आर. बाबू, दिल्ली विश्वविद्यालय	अध्यक्ष
2. प्रमुख सचिव (पर्यावरण एवं वन), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार	सदस्य (पदेन)
3. प्रमुख सचिव (शहरी विकास), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार	सदस्य (पदेन)
4. विकास आयुक्त, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार	सदस्य (पदेन)
5. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार	सदस्य (पदेन)
6. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, दिल्ली पार्क और उद्यान सोसायटी	सदस्य (पदेन)
7. मुख्य वन्यजीव प्रबंधक, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार	परिषद के सदस्य सचिव
8. प्रो. सुमित दूकिया, इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय	सदस्य
9. श्री विजय दशमाना, अरावली जैव विविधता पार्क, क्यूरेटर	सदस्य
10. डॉ॰ रितु सिंह, इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज	सदस्य
11. श्री मनु भटनागर, इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज	सदस्य

नियम और शर्तें

1. जैव विविधता परिषद के गैर-सरकारी सदस्यों का कार्यकाल शासन द्वारा आदेश जारी होने की तिथि से तीन वर्ष की अवधि के लिए होगा ।
2. जैव विविधता परिषद के कार्यालय के कामकाज वन एवं वन्य जीव विभाग, विकास भवन, ए-ब्लॉक, द्वितीय तल, आई.पी. इस्टेट, नई दिल्ली – 110002 से किए जाएंगे ।
3. परिषद जैविक विविधता अधिनियम, 2002 (2003 का केंद्रीय अधिनियम 18) और जैविक विविधता नियम, 2004 के प्रावधानों के अनुसार कार्य करेगी ।
4. सरकार एक निधि का गठन करेगी जिसे "राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली जैव विविधता परिषद निधि" के रूप में जाना जाएगा और परिषद द्वारा प्राप्त सभी शुल्क और लाभ साझा करने की राशि को इसमें जमा किया जाएगा । "राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली जैव विविधता परिषद निधि" में इस प्रकार प्राप्त राशि का उपयोग केवल जैविक विविधता अधिनियम, 2002 की धारा 27 (2) में उल्लिखित उद्देश्यों के लिए किया जाएगा ।
5. परिषद के कामकाज के लिए प्रशासनिक खर्च सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।
6. परिषद राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत उन कार्यों का निष्पादन करेगी जो जैविक विविधता अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के अंतर्गत राज्य जैव विविधता बोर्डों को निहित किए गए हैं।
7. परिषद राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण के परामर्श से अधिनियम की धारा 7 के तहत अनुमोदन प्राप्त करने के लिए प्रारूप और प्रक्रियाओं को अधिसूचित करेगी ।

यह माननीय पर्यावरण एवं वन मंत्री राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के पूर्व अनुमोदन से जारी किया जाता है ।

संजीव खिरवार, प्रमुख सचिव (पर्यावरण और वन)

DEPARTMENT OF ENVIRONMENT, FORESTS AND WILDLIFE

NOTIFICATION

Delhi, the 29th October, 2021

F.No.41/CWLW/WL/Constitution of Biodiversity Council/2020/6576-99.—In exercise of the power conferred under sub section (2) of Section 22 of the Biological Diversity Act, 2002 (Central Act 18 of 2003), the National Biodiversity Authority (NBA) has delegated the powers and functions vested with it under section 22(2) of

the BDA, 2002 to the National Capital Territory of Delhi Biodiversity Council (DBC) vide Office Memorandum No. NBA/9/60/2005-SBB/UT-D dated 31.12.2019. In compliance of the said Office Memorandum, the Government of National Capital Territory of Delhi hereby constitutes Delhi Biodiversity Council for:-

a) Regulating access to biological resources for commercial utilization as specified under section 7 of the Biological Diversity Act, 2002.

b) Supervising the formation and functioning of Biodiversity Management Committees (BMCs) and People's Biodiversity Register.

Composition

1.	Prof. C. R. Babu, Delhi University	Chairperson
2.	Principal Secretary (Environment & Forest), GNCTD	Member (ex-officio)
3.	Principal Secretary (Urban Development), GNCTD	Member (ex-officio)
4.	Development Commissioner, GNCTD	Member (ex-officio)
5.	Principal Chief Conservator of Forest, GNCTD	Member (ex-officio)
6.	Chief Executive Officer, Delhi Parks and Gardens Society	Member (ex-officio)
7.	Chief Wildlife Warden, GNCTD	Member Secretary of the Council
8.	Prof. SumitDookia,Indraprastha University	Member
9.	Sh. Vijay Dashmana, Aravali Biodiversity Park, Curator	Member
10.	Dr.Ritu Singh, Indian National Trust for Art and Cultural Heritage (INTACH)	Member
11.	Sh. Manu Bhatnagar, Indian National Trust for Art and Cultural Heritage (INTACH)	Member

Terms and Conditions

1. The term of office of the non-official members of the Biodiversity Council shall be for a period of three years from the date of issue of the Order by the Government.

2. The office of the Biodiversity Council shall function from the office of Department of Forests and Wildlife, Vikas Bhawan, A-Block, 2nd Floor, I.P. Estate, New Delhi – 110002.

3. The Council shall function as per the provisions of the Biological Diversity Act, 2002 (Central Act 18 of 2003) and the Biological Diversity Rules, 2004.

4. The Government shall constitute a fund which shall be known as the "National Capital Territory of Delhi Biodiversity Council Fund" and all the fees, charges and benefit sharing amount received by the Council shall be credited to it. The amount so received in the "National Capital Territory of Delhi Biodiversity Council Fund" shall be used only for the purposes mentioned in Section 27 (2) of the Biological Diversity Act, 2002.

5. The Administrative expenses towards the functioning of the Council shall be borne by the Government.

6. The Council shall perform the functions within the jurisdiction of the NCT of Delhi as has been vested to the State Biodiversity Boards under various provisions of the Biological Diversity Act.

7. The Council shall in consultation with National Biodiversity Authority notify the format and procedures for seeking approval as required under Section 7 of the Act.

This issues with prior approval of Hon'ble Minister (Environment & Forests), Govt. of NCT of Delhi.

SANJEEV KHIRWAR, Principal Secy. (Environment & Forests)

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

SURENDER MAHADASAM Digitally signed by SURENDER MAHADASAM Date: 2021.11.02 14:49:15 +05'30'